



Neutral Citation No. - 2026:AHC:178558

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या -

7704/2026

बीना तिवरी

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : अर्चित मिश्रा, सत्येन्द्र कुमार मिश्रा, सौरभ चतुर्वेदी

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

- 1- आज दाखिल किया गया अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
- 2- आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
- 3- वर्तमान आवेदन आवेदिका की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 01 वर्ष 2025, धारा 316(5), 351(2), 61(2) बी.एन.एस. (धारा 409, 506, 120बी भा.दं.सं.), थाना चेतगंज, जनपद वाराणसी के अंतर्गत दाखिल किया गया है, जिसमें उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई है।
- 4- आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदिका पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान प्रकरण में झूठा फँसाया गया है; उसका कथित अपराध से कोई लेना-देना नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदिका को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। आवेदिका को वर्तमान प्रकरण में झूठा फँसाया गया है, क्योंकि वह आशीष तिवारी की पत्नी है, जिसके विरुद्ध प्रथम सूचनाकर्ता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



द्वारा मुख्य आरोप लगाया गया है। आवेदिका को केवल इतना आरोपित किया गया है कि उसने विवादित धनराशि में से कुछ धनराशि अपनी फर्म, अर्थात् एम/एस मा चंद्रिका प्लास्टिक होलसेलर कंपनी, के खाते में प्राप्त की। आगे प्रस्तुत किया गया है कि इसी प्रकार के आरोपों पर अन्य एफ.आई.आर. भी दर्ज की गई थीं। चार मामलों के आपराधिक पूर्ववृत्त का विवरण शपथपत्र के पैराग्राफ संख्या 14, 18, 19 और 21 में उल्लिखित किया गया है। उन मामलों में आवेदिका को या तो अग्रिम जमानत पर रिहा किया गया है अथवा गिरफ्तारी पर रोक प्रदान की गई है। आगे प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले में भी विवेचना के दौरान आवेदिका को इस न्यायालय द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था और दाण्डिक विविध रिट याचिका संख्या 4534 वर्ष 2025 में दिनांक 10.03.2025 के आदेश द्वारा उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी। आगे यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान आपराधिक अभियोजन पूर्णतः दुर्भावनापूर्ण प्रकृति का है, क्योंकि यह स्वीकार किया गया है कि प्रथम सूचनाकर्ता और आशीष तिवारी के मध्य व्यावसायिक संबंध था और लगभग दो वर्षों तक नियमित रूप से कई लेन-देन होते रहे तथा धन के लेन-देन के संबंध में जो विवाद था, वह सिविल प्रकृति का है, जिसे आपराधिक मामलों का रंग दिया जा रहा है। आवेदिका ने विवेचना में सहयोग किया है और अब दिनांक 16.04.2025 को आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। आवेदिका संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए तैयार है। चूँकि आरोप-पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है, इसलिए आवेदिका की अभिरक्षात्मक पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने अंत में प्रस्तुत किया कि आवेदिका विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देती है और संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित किया जाएगा, तब उपस्थित होगी। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदिका को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी, विचारण में सहयोग करेगी तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगी।

5- दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है, तथापि, वह तथ्यात्मक पहलू पर विवाद नहीं करते हैं।

6- मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की परस्पर प्रस्तुतियों को सुना है और अभिलेखों का परिशीलन किया है।



7- इस मामले में आरोप-पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है और आवेदिका के संबंध में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उसने विवेचना में सहयोग नहीं किया। आवेदिका की अभिरक्षात्मक पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है।

8- **अमन प्रीत सिंह बनाम सी.बी.आई., (2022) 13 एस.सी.सी. 764** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि:-

"11. उपर्युक्त को पढ़ने से यह प्रदर्शित होता है कि यह मजिस्ट्रेट के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है, जब वह धारा 170 दं.प्र.सं. के अधीन शक्तियों का प्रयोग करता है, जिसे निर्धारित किया गया है। मजिस्ट्रेट अथवा अभियुक्त का संज्ञान लेने या विचारण करने के लिए सशक्त न्यायालय को आरोप-पत्र तत्काल स्वीकार करना होगा और धारा 173 दं.प्र.सं. के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करनी होगी। यह उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसे मामले में मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय को अनिवार्य रूप से समन की प्रक्रिया जारी करनी चाहिए और गिरफ्तारी का वारंट नहीं। यदि वह गिरफ्तारी के वारंट जारी करने के विवेक का प्रयोग करना चाहता है, तो उसे धारा 87 दं.प्र.सं. में परिकल्पित कारणों को अभिलिखित करना आवश्यक है कि अभियुक्त या तो फरार हो गया है अथवा समन का पालन नहीं करेगा या उसके विरुद्ध समन की विधिवत तामील किए जाने के प्रमाण के बावजूद वह उपस्थित होने से इनकार कर चुका है। वास्तव में, उच्च न्यायालय द्वारा उप-पैरा (iii) में की गई टिप्पणियाँ सावधानी के स्वरूप की हैं।

12. जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है और धारा 170 दं.प्र.सं. के अधीन सामान्य सिद्धांतों का संबंध है, उच्च न्यायालय के निर्णय के उप-पैरा (v) में की गई टिप्पणियाँ उस अभियुक्त के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त हैं, जो अजमानतीय अपराध में अभियुक्त है और जिसकी अभिरक्षा विवेचना की अवधि के दौरान आवश्यक नहीं थी। ऐसी स्थिति में, यह उचित है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि विवेचना के दौरान उसकी गिरफ्तारी न किए जाने अथवा उसे अभिरक्षा में प्रस्तुत न किए जाने की परिस्थितियाँ ही उसे जमानत पर रिहा किए जाने के लिए अधिकार प्रदान करने हेतु पर्याप्त हैं। इस तर्क को संक्षेप में इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति कई वर्षों से रिहा और स्वतंत्र रहा है और विवेचना के दौरान उसे गिरफ्तार तक नहीं किया गया है, तो केवल इसलिए कि आरोप-पत्र दाखिल कर दिया गया है, अचानक उसकी गिरफ्तारी का निर्देश



देना और उसे कारावास में निरुद्ध करना जमानत प्रदान किए जाने के शासक सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। इससे हम अधिक सहमत नहीं हो सकते।"

9- अतः, अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के सुस्थापित सिद्धांतों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियों, आरोप की प्रकृति, आवेदिका की भूमिका तथा प्रकरण के सभी संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरे विचार में, यह आवेदिका को प्रकरण में विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के लिए उपयुक्त मामला है।

10- तदनुसार, निम्नलिखित निर्देशों के साथ अग्रिम जमानत का आवेदन स्वीकार किया जाता है:-

(i) उपर्युक्त प्रकरण में सम्मिलित आवेदिका-बीना तिवारी की गिरफ्तारी/उपस्थिति की दशा में, उसे विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, रिहा किया जाएगा।

(ii) आवेदिका विचारण के दौरान सहयोग करेगी और निष्पक्ष विचारण के प्रयोजनार्थ जब भी अपेक्षित किया जाएगा, संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगी।

(iii) आवेदिका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगी, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके; और

(iv) आवेदिका न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगी।

11- किसी शर्त के उल्लंघन अथवा दुरुपयोग की दशा में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता को यह स्वतंत्रता होगी कि वह आवेदिका को प्रदान की गई अग्रिम जमानत को निरस्त करने के लिए संबंधित न्यायालय के समक्ष उचित आवेदन प्रस्तुत करे।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

24 अगस्त, 2026

ए.पी. पाण्डेय